उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1983)

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE ACT, 1983

(U.P. Act No. 29 of 1983)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1983]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1986

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1989

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1997

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 2003

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 2013

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2013

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 अक्टूबर, 1983 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 कहा जायेगा ।

*(2) यह 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2–इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रथा या रूढ़ि, संविदा विलेख या प्रलेख, किसी न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी किसी स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले हिन्दू होंगे

3–कोई व्यक्ति, जब तक वह हिन्दू धर्मावलम्बी न हो, न्यास–परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी के रूप में होने या रहने के लिये पात्र नहीं होगा और जब कोई व्यक्ति हिन्दू न रह जाय

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये इस अधिनियम के अन्त में देखे। 28 जनवरी, 1983 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

* 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

तब वह उस पद पर न रह जायगा और उस रूप मे किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करना बन्द कर देगा ।

परिभाषायें

4–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ––

(1) "नियत दिनांक" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(2) "अर्चक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी, पंडा पुरोहित या सेवक भी सम्मिलित है ;

(3) "न्यास परिषद्" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित न्यास परिषद् से है ;

(4) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 16 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

(5) "विन्यास" का तात्पर्य समस्त स्थावर या जगम सम्पत्ति से है जो मन्दिर की, हो या उसके अनुपोषण व अनुरक्षण या सुधार के लिये या मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिये या उससे सम्बन्धित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गयी हो और उसमें मन्दिर में प्रतिष्ठित देय प्रतिमाएं, मन्दिर का परिसर और मन्दिर की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को मन्दिर या उसमे प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं के लिये दिया गया या देने के लिए आशयित सम्पत्ति का दान भी सम्मिलित है ;

(6) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है ;

(7) "विहित" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये अधिसूचित आदेश द्वारा विहित से है ;

(8) "धर्मार्थ अर्पण" का तात्पर्य मन्दिर की सीमाओं के भीतर या अन्यत्र द्रव्य या पदार्थ के ऐसे अर्पण से है, जो मन्दिर मे किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध हो और उसमें डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट भी सम्मिलित है जिसका अभिप्राय या आशय हो कि उसका वैसा उपयोग मन्दिर में किया जाय ;

(9) "मन्दिर" का तात्पर्य वाराणसी नगर में स्थित आदि विश्वेश्वर के मन्दिर से है, जो श्री "काशी विश्वनाथ मन्दिर" के नाम से विख्यात है, और सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप मे उपयोग में लाया जाता है और हिन्दू मात्र के लिये समर्पित या उनके सभायें हैं या ज्योतिलिंग के साधिकार सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप मे उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त गौण मन्दिर, उपासना स्थल, गौण उपासना स्थल, और समस्त अन्य देव प्रतिमाओं के स्थान मंडप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक निर्माण और उससे सम्बद्ध भूमि और नियत दिनांक के वाद उसमें जो परिवर्धन किया जाय वह भी सम्मिलित है ;

(10) "मन्दिर निधि" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन गठित मन्दिर निधि से है।

अध्याय – दो

न्यास परिषद्

मंदिर और उसके विन्यास का निहित होना

5–मन्दिर और उसका विन्यास श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह में निहित होगा ।

परिषद् का गठन

6–(1) नियत दिनांक से मन्दिर और उसके विन्यास का प्रबन्ध और प्रशासन न्यास परिषद् में निहित होगा जिसे श्री काशी विश्वविनाथ मंदिर न्यास परिषद् कहा जायेगा ।

(2) न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् ––

[1][(क) न्यास परिषद् का अध्यक्ष एक ऐसा गैर सरकारी हिन्दू होगा जो हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात हो और श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा ।]

(ख) श्री जगत गुरू शंकराचार्य, श्रृंगेरी ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग–पदेन ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग–पदेन ;

[2][(ङ) सचिव और उनकी अनुपस्थिति में, विशेष सचिव, यदि कोई हो, उत्तर प्रदेश सरकार, धर्मार्थ कार्य विभाग –पदेन ;]

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय/विधायी विभाग, चक्रानुक्रम में, ऐसी रीति से जो विहित की जाय – पदेन ;

(छ) निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश – पदेन ;

(ज) आयुक्त, वाराणसी मण्डल – पदेन ;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी – पदेन ;

(ञ) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – पदेन ;

(ट) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखते हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा ;

[3](ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी –पदेन ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1989 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि न्यास परिषद् का कोई सदस्य तदैव अपने कर्त्तव्य का पालन इस तथ्य के कारण नहीं कर सकता है कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीनस्थ जो निकटतम व्यक्ति उपलब्ध हो, वह समय विशेष पर न्यास परिषद् का सदस्य होगा ।

(4) न्यास परिषद् निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और उपरोक्त नाम से जो वाद प्रस्तुत कर सकता है या जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(5) न्यास परिषद् का गठन और उसमें प्रत्येक परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायगा ।

पदावधि

7–(1) न्यास परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न [1][अध्यक्ष या कोई सदस्य] अपने नाम–निर्देशन की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (2) के [2][****] खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य अपने जीवन–पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु यह और भी कोई सदस्य पुनः नाम–निर्देशन के लिये पात्र होगा ।

(2) न्यास परिषद् के [3][अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य] के पद में आकस्मिक रिक्ति की जो मृत्यु पद त्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा हो, पूर्ति उसी रीति से की जायगी जैसी धारा 6 में विनिर्दिष्ट है ।

न्यास परिषद् के किसी सदस्य को हटाने के लिये राज्य सरकार की शक्ति

8–[4][(1) राज्य सरकार न्यास परिषद् के अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो पदेन सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर हटा सकती है ।]

[4][(2) न्यास परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरूद्ध कारण दर्शित करने का युक्तिसंगत अवसर न दे दिया जाय ।]

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

न्यास परिषद् की बैठक

9–(1) न्यास परिषद् की बैठक सामान्यतया प्रत्येक तिमाही में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे न्यास परिषद् के द्वारा अवधारित किया जाय या यथास्थिति, अध्यक्ष के द्वारा निदेशित किया जाय ।

(2) न्यास परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य करेगा जिसे न्यास परिषद् द्वारा अवधारित किया जाय ।

[5][(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप मे प्राधिकृत कर सकता

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2003 की धारा 3क(i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2003 की धारा 3क(ii) प्रतिबन्ध द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2003 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2003 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1989 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

है और उक्त उपधारा के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्यास परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो उसके विभाग में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों मे भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।][1]

[1][(4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायगा जब तक कम से कम पांच सदस्य जिसके अन्तर्गत उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी भी है, उपस्थित न हों।]

(5) न्यास परिषद् कार्य–सम्पादन के लिये ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय ।

(6) न्यास परिषद् की किसी बैठक में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत किये जायेंगे और मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो न्यास परिषद् का सचिव होगा, न्यास, परिषद् के कार्यवाही–वृत्त के सम्यक् अभिलेख और अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा और कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेगा ।

न्यास परिषद् के कार्य और कार्यवाही का अधिप्रमाणिकरण

10–न्यास परिषद् के समस्त आदेश और विनिश्चय और न्यास परिषद् के कार्य और कार्यवाही के अभिलेख को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या यदि न्यास परिषद् ऐसा प्राधिकृत करें तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जायगा ।

रिक्ति होने पर भी न्यास परिषद् के कार्य करने की शक्ति

11–न्यास परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही न्यास परिषद् के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

न्यास परिषद् के सदस्यों को भत्ता

12–राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर न्यास परिषद् के अध्यक्ष या सदस्यों को ऐसे भत्ते ऐसी रीति से और ऐसे समय पर मन्दिर निधि से दिये जाने के लिये निदेश दे सकती है जैसी वह अवधारित करे ।

न्यास परिषद् का मन्दिर और उसकी सम्पत्ति पर कब्जा

13–(1) न्यास परिषद् मन्दिर और उसके विन्यास की या उसकी अंगीभूत समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ और अन्य आस्तियों का कब्जा लेने और रखने का हकदार होगी ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियत्रण में यथा उपरोक्त कोई ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ या अन्य आस्तियां है, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा किये जाने पर उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रस्तुत करेगा और देगा ।

न्यास परिषद के कर्त्तव्य

14–इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि ––

(क) मन्दिर में श्री काशी विश्वनाथ और अन्य विग्रहों को दैनिक या सावधिक,

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1989 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सामान्य या विशेष, पूजा, सेवा और कर्मकांड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के हिन्दू शास्त्रों और धर्मग्रन्थों और प्रथा के अनुसार सम्यक् और उचित सम्पादन की व्यवस्था करें ;

(ख) मन्दिर में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार जिसमें प्रकाश व्यवस्था स्वास्थ्यप्रद वातावरण और समुचित स्तर की स्वच्छता भी सम्मिलित है, उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करे ;

(ग) मन्दिर की निधि, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण और अन्य सम्पत्ति की निरापद अभिरक्षा सुनिश्चित करें ;

(घ) मन्दिर की सम्पत्ति और ऐहिक कार्यो के परिरक्षण और प्रबन्ध के लिये पर्याप्त व्यवस्था करे ;

(ङ) विन्यास निधि का व्यय दानकर्ताओं की इच्छा जहाँ तक उसकी जानकारी हो या निश्चित रूप से की जा सकें, उसके अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें ;

(च) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों द्वारा उचित ढंग से पूजा किये जाने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करे ;

(छ) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सूविधा और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के लिये व्यवस्था करे ;

(ज) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों के लाभार्थ निम्नलिखित कार्य करें ––

(एक) उनके आवास के लिये भवनों का निर्माण ;

(दो) सफाई सम्बन्धी निर्माण कार्य ;

(तीन) संचार साधनों में सुधार ;

(चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें ;

(झ) वेतनभोगी कर्मचारियों को उपयुक्त परिलब्धियों के भुगतान की व्यवस्था करें ;

[1][(ञ) मन्दिर के चढ़ावे मे प्राप्त बेलपत्र आदि से बने भस्म श्रद्धालुओं मे निःशुल्क वितरित करें ;

(ट) वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध करे, शोध से सम्बन्धित सुअवसर प्रदान करे, निःशुल्क शोध केन्द्र स्थापित करे, निःशुल्क शिक्षण कक्षाएं आयोजित करे, वैदिक संस्कृति को तकनीकी शिक्षा से समन्वित करने के लिए निःशुल्क तकनीकी शिक्षा स्थापित करे और रोज़गार के लिए सुअवसर सुलभ करायें, समान उद्देशीय संगठनों की सहायता से समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरंम्भ करे, एवं वैदिक संस्कृति की शिक्षा हेतु विद्यालय खोलें ;

(ठ) निर्धन, निर्बल तथा असहाय श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र खोले और उसकी व्यवस्था करे ;

(ड) श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क अन्नक्षेत्र की सुविधा सुलभ कराए ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ढ) श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं खोले एवं निःशुल्क उपलब्ध कराये और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करे तथा वैदिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शोध केन्द्रों की भी स्थापना करें ;

(ण) श्रद्धालुओं में निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था करें, चढ़ावे में प्राप्त वस्त्रादि एवं अन्य सामग्री को निर्धन और असहाय लोगों में वितरित करें ;

(त) न्यास और समय–समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं बैठकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनजागरण हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं निःशुल्क वितरण करें ;

(थ) ऐसे सभी अन्य कार्य करें जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यकलापों के कुशल प्रबन्धन और तीर्थयात्रियों और पुजारियों की सुविधा के लिए आनुषंगिक और सहायक हों।][1]

न्यास परिषद् की शक्ति

15–न्यास परिषद् समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों और विशेष रूप से उसे यह शक्ति होगी कि,–

(क) मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन के लिये फीस निर्धारित करें ;

(ख) ऐसी सूचना और लेखा की मांग करे जो उसकी राय में उसका यह समाधान करने के लिए आवश्यक है कि मन्दिर और उसके विन्यास का अनुरक्षण और प्रशासन उचित रीति से किया जा रहा है और उसकी निधि का विनियोग उन प्रयोजनों के लिए हो रहा है जिनके लिये उनका अस्तित्व है या उनकी स्थापना की गयी थी ;

(ग) मन्दिर के परिसर के भीतर और मन्दिर के ऐसे क्षेत्र में जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करें :––

(एक) किसी मादक पेय या औषधि का विक्रय, कब्जा, उपयोग या उपभोग ;

(दो) मांस या मांसयुक्त किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय, कब्जा, बनाया जाना या उपभोग ;

(तीन) किसी पशु या पक्षी का किसी प्रयोजन के लिये वध करना या उसकी जान लेना या उसे विकलांग करना ;

(चार) ताश, पाशा, चौपड़, रूपया या जुआ खेलने के लिये किसी अन्य उपकरण से जुआ खेलना ;

(ध) ऐसी अन्य बातों को करना या करने के लिये निदेश देना जो विहित की जाय।

अध्याय – तीन

मन्दिर अधिष्ठान

मन्दिर के अधिकारी

[2][**16**– (1) राज्य सरकार मन्दिर के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा वह आवश्यक समझती है, नियुक्त कर सकती है ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें जिसमें नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उन्हें देय वेतन और भत्ते भी सम्मिलित है, ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जाये :

परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में ऐसे अधिकारियों के अधिकार, उनके नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे कि उनके लिए अलाभकर हों।][1]

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य

17–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और न्यास परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मन्दिर के ऐहिक कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि,–

(क) न्यास परिषद् और कार्यपालक समिति के विनिश्चय और आदेश को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वित करें ;

(ख) मन्दिर में धर्मार्थ अर्पण के उचित संग्रह, अनुरक्षण और निस्तारण की व्यवस्था करे और उसका पूर्ण और उचित लेखा रखे ;

(ग) मन्दिर के समस्त अभिलेख, आभूषण, मूल्यांकन वस्तु, धन, मूल्यवान प्रतिभूति और सम्पत्ति की अभिरक्षा और उनके परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे।

(घ) न्यास परिषद् के कार्यवाही–वृत्त का अभिलेख रखे और अनुरक्षण करें ;

(ङ) ऐसे निर्माण–कार्य या आपूर्ति के लिए टेन्डर मांगे और टेन्डर को स्वीकार करे जिसका मूल्य या धनराशि पांच हजार रूपये से अधिक न हो ;

(च) मन्दिर के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और अनुशासन भंग के मामलों में उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करे ;

(छ) ऐसी अन्य सभी बातें करे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए अपेक्षित हों ।

आपात काल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति

18–(1) आपातकाल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी कार्य के निष्पादन या किसी बात के किये जाने के लिए निदेश दे सकता है जो उस वर्ष के बजट में उपबन्धित नहीं है या जो उसकी राय में मन्दिर या उसके विन्यास के परिरक्षण के लिये या मन्दिर में आने–जाने वाले तीर्थ–यात्रियों या पूजा करने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिये या मन्दिर में पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अनुष्ठान के सम्यक् सम्पादन के लिये तुरन्त आवश्यक और अपरिहार्य है और यह भी निदेश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी बात के किये जाने के खर्च का भुगतान मन्दिर निधि से किया जायगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस धारा के अधीन किये गये कार्य की आख्या, न्यास परिषद् और कार्यपालक समिति को तुरन्त देगा और उस कार्य के कारणों को भी बतायेगा और तत्पश्चात् कार्यपालक समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यास परिषद् ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्यपालक समिति

19–(1) एक कार्यपालक समिति होगी जो न्यास परिषद् या राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, मन्दिर के कार्यों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगी ।

(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : ––

(क) आयुक्त, वाराणसी मण्डल	सभापति
(ख) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी	सदस्य
(ग) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी	सदस्य
(घ) प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी	सदस्य
(ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट न्यास परिषद् के सदस्य	सदस्य पदेन
(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य सचिव ।

(3) यदि कार्यपालक समिति का कोई सदस्य तदैव अपना कर्त्तव्य इस तथ्य के कारण सम्पादित नहीं कर सकता कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीन उपलब्ध निकटतम व्यक्ति समिति में कार्य करेगा ।

(4) कार्यपालक समिति को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए सहयोजित करने की शक्ति होगी ।

(5) कार्यपालक समिति ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कृत्य का सम्पादन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदान किये जायें, या न्यास परिषद् के द्वारा उसे सौंपे जायें ।

मंदिर के वर्तमान कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

20–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथाशीघ्र एक अनुसूची तैयार करेगा जिसमें मन्दिर के अधिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों के पदनाम, कोटिक्रम और कर्तव्यों का उल्लेख होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची को तैयार करते समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी हित की, जिसका दावा कोई व्यक्ति करे, प्रकृति के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के किसी निर्णय, बिक्री या आदेश को या मन्दिर सम्बन्धी किसी प्रथा या रूढ़ि को मान्यता देगा और कार्यान्वित करेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची उन प्रस्तावों सहित जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को देय वेतन या भत्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखे जायें, न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसी अनुसूची न्यास परिषद् द्वारा उसमें किये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, अनुमोदित किये जाने पर प्रवृत्त होगी और ऐसे व्यक्ति सेवायोजन की ऐसी शर्तो के हकदार होंगे जो विहित की जायें ।

मंदिर के कर्मचारी

21–(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् या यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पदनाम सहित जैसा विहित किया जाय, नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जायें ।

(2) कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तों से जिनमें अर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्तों भी सम्मिलित है, नियंत्रित होंगे जैसी विहित की जायें।

(3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नही हटाया जायगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर न दिया गया हो ।

अर्चक

22–(1) मन्दिर से सम्बद्ध या उसमें सेवारत प्रत्येक अर्चक मन्दिर मे पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिये और उससे सम्बद्ध अन्य सामान्य या विशेष दैनिक या आवधिक सेवा के उचित सम्पादन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदैव कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिये ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हो, और ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य परिदेय या परिलब्धि का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अनुज्ञात हो ।

अध्याय – चार

सम्पत्ति और लेखा

मन्दिर निधि

23– (1) "श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर निधि" के नाम से एक निधि का गठन किया जायगा जो न्यास परिषद् में निहित होगा और जिसका प्रशासन उसके द्वारा किया जायगा और उस निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :–

(क) मन्दिर की जंगम और स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय ;

(ख) श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह या मन्दिर में किसी अन्य विग्रह को प्रदत्त या प्रदत्त करने के लिये आशयित धर्मार्थ अर्पण ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुदार या ऋण के रूप में कोई अंशदान ;

(घ) मन्दिर में या उसके लिये किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई दान या पुण्यार्थ दान ;

(ङ) जनता, स्थानीय प्राधिकारी या संस्था द्वारा दिया गया कोई अन्य उपहार या अंशदान ;

(च) इस अधिनियम के अधीन आरोपित सभी जुर्माना और शास्ति ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन सभी वसूली ।

(2) मन्दिर निधि का उपयोग इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात प्रयोजनों के लिये किया जायेगा ।

[1][(3) देव प्रतिमाओं, न्यास परिषद् या मंदिर निधि को देय कोई विनिश्चित धनराशि, वसूली की किसी अन्य उपलब्ध रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1989 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

कार्यपालक अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर, भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगीं ।]

कर्मकाण्ड या समारोह हेतु व्यवधान का निर्धारण

24–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियत दिनांक से तीन मास के भीतर मन्दिर हेतु व्ययमान और मन्दिर से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिये आवंटनीय धनराशि के निर्धारण के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

(2) ऐसे प्रस्ताव अर्चकों से परामर्श के पश्चात् और अर्पण की प्रथा के अनुसार या अन्यथा पूजा या अर्पण की सामान्य या विशेष, दैनिक या सावधिक सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए तैयार किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विहित किये जायें ।

(4) न्यास परिषद् प्रस्ताव को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसी विहित की जाय और कोई हितबद्ध व्यक्ति अपनी आपत्तियों या सुझावों को ऐसे प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

(5) आपत्तियों और सुझावों पर जो उपधारा (4) के अधीन प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् न्यास परिषद् ऐसे प्रस्तावों पर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को और मन्दिर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उचित समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति विहित रीति से प्रकाशित की जायगी ।

(7) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम होगा ।

(8) उपधारा (5) के अधीन निश्चित व्ययमान का समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है, और उपधारा (1) से (5) के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(9) तत्समय प्रवृत्त व्ययमान मन्दिर निधि पर प्रथम प्रभार होगा और उपर्युक्त के सिवाय उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

बजट

25–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए प्राक्कलित आय और व्यय का (जिसे आगे बजट कहा गया है) एक विवरण–पत्र न्यास परिषद् को ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाय और न्यास परिषद् उपान्तर के बिना या ऐसे उपान्तर के साथ जिसे वह उचित समझे, बजट का अनुमोदन कर सकती है ।

(2) प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिय पर्याप्त व्यवस्था होगी ––

(एक) मन्दिर में विग्रह की पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का उचित सम्पादन ;

(दो) मन्दिर के समस्त दायित्वों का सम्यक् निर्वहन ;

(तीन) काम चलाऊ बजत पूंजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण ;

(चार) तीर्थ यात्रियों, पूजा करने वालों या मन्दिर में हितबद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिये किया जाने वाला प्रबन्ध ;

(पांच) मन्दिर और उससे सम्बद्ध भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार ; और

(छः) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जाय ।

(3) न्यास परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् बजट राज्य सरकार को ऐसे दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय, प्रस्तुत किया जायगा ।

(4) बजट स्वीकृत करने के पूर्व राज्य सरकार अपना यह समाधान करेगी कि विहित काम चलाऊ बचत पूंजी के अनुरक्षण और मन्दिर और उसके विन्यासों के समस्त दायित्वों को पूरा करने के लिये बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार को बजट के किसी भाग का उपान्तर करने की शक्ति होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था की गयी है ।

(5) राज्य सरकार का बजट को स्वीकृत करने वाला विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे दिनांक तक संसूचित किया जायगा जो विहित किया जाय और उसके अभाव में यह समझा जायगा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट किसी उपान्तर के बिना स्वीकृत कर दिया गया है ।

(6) न्यास परिषद् के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह कोई व्यय करें जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट मे व्यवस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है ।

(7) जब किसी नई सेवा के लिये जिसकी प्रकल्पना बजट में नहीं की गयी है, अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो, तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रस्तावित व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और उपधारा (1) से (6) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे ।

(8) यदि कोई व्यक्ति मन्दिर की सम्पत्ति की आमदनी से कोई भुगतान किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर या अन्यथा किसी हित के कारण पाने का हकदार है जो उसे मन्दिर के कार्यो के प्रशासन में है तो ऐसा भुगतान उसको उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में अपेक्षित व्यय को यथाविधि पूरा करने के बाद किया जायगा और ऐसा भुगतान करने में आवश्यक समानुपातिक समायोजन भी किया जा सकता है ।

नियमित लेखा का रखा जाना

26–न्यास परिषद् नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करे और ऐसे विवरण सहित, जो विहित किया जाय, रखवायेगी ।

लेखा–परीक्षा

27–(1) प्रति वर्ष या यदि राज्य सरकार किसी मामले में ऐसा निदेश दे तो उससे कम अवधि में भी ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा की परीक्षा करायी जायगी ।

(2) ऐसी लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा या उसके निदेश के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायगी ।

(3) ऐसे लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और लेखा परीक्षा का व्यय मन्दिर निधि से राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जायगा ।

(4) मन्दिर के कार्यों के प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षकों के समक्ष ऐसे सभी लेखा, अभिलेख ओर दस्तावेज प्रस्तुत करें या करायें और उनकी ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करें जो अपेक्षित हों, और उनकी ऐसी सभी सहायता और सुविधायें प्रदान करें जो लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक हों ।

(5) लेखा परीक्षक को पूरा करने के पश्चात् लेखा परीक्षक एक आख्या, जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की प्रेषित करेगा और ऐसी आख्या की प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित करेगा ।

(6) लेखा परीक्षक के द्वारा इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं को इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर ठीक किया जायगा और उसकी आख्या राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ।

अधिभार

28–(1) यदि धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, राज्य सरकार का विचार है कि न्यास परिषद् के किसी सदस्य ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अवैध, अनियमित या अनुचित व्यय किया है या उपेक्षा या दुराचार से मन्दिर के धन या अन्य सम्पत्ति की हानि की है या उसे बरबाद किया है तो वह न्यास परिषद् के ऐसे सदस्य को या सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकती है कि वह कारण दर्शित करे कि उसके विरूद्ध अधिभार का आदेश क्यों न पारित किया जाय और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा, इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि को या इस प्रकार हानि पहुंचाई गयी या बरबाद की गयी सम्पत्ति की धनराशि या मूल्य को प्रमाणित कर सकती है और निर्देश दे सकती है कि ऐसी धनराशि की वसूली उससे व्यक्तिगत रूप से की जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यास परिषद् के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध पारित अधिभार के आदेश से लेखा या किसी अन्य विषय के लिये जिसका निस्तारण ऐसे आदेश द्वारा अन्तिम रूप से नहीं किया गया है, वाद संस्थित करने में रूकावट नहीं होगी ।

(3) अधिभार की धनराशि को इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह भू–राजस्व का बकाया हो ।

सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण सम्बन्धी उपबन्ध

29–(1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई स्थावर सम्पत्ति मन्दिर के लिए और उसकी ओर से अर्जित नही की जायगी और मन्दिर की या उसके किसी प्रयोजन के लिए विन्यस्त किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जायेगा।

[1][(2) मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण निम्नलिखित की स्वीकृति के बिना नही किया जायेगा,–

(क) अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रूपये तक हो,

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रूपये से अधिक किन्तु दो लाख पचास हजार रूपये से अनधिक हो;

(ग) न्यास परिषद् की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रूपये से अनधिक हो,

(घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और न्यास परिषद् की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य पाँच लाख रूपये से अधिक हो।][1]

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक उसका यह विचार न हो कि सौदा मन्दिर के लिये आवश्यक या लाभदायक है और उसका प्रतिफल युक्तिसंगत और उचित है ।

(4) स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण के लिये कोई प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत किया जायगा जैसा विहित किया जाय ।

(5) राज्य सरकार अपना विनिश्चय ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संसूचित करेगी और, यदि कोई विनिश्चय ऐसी अवधि में संसूचित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है ।

धन उधार लेने पर निर्बन्धन

30–मन्दिर के लिए और उसकी ओर से कोई धन राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति से उधार नहीं लिया जायगा ।

संविदा

31–इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाओं को निष्पादित और हस्ताक्षरित करेगा और सभी क्रय करेगा :

परन्तु किसी कार्य के निष्पादन या कोई आपूर्ति करने के लिए संविदा के प्रसंग में जिसकी धनराशि या मूल्य दस हजार रूपये से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

अध्याय – पाँच

निरीक्षण

निरीक्षण कराये जाने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति

32–(1) राज्य सरकार को मन्दिर के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में निरीक्षण या जांच, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे वह उचित समझे, कराने का अधिकार होगा ।

(2) यदि राज्य सरकार विनिश्चय करे कि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करायी जाय तो वह न्यास परिषद् को सूचना देगी और न्यास परिषद् के द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और तदैव सुने जाने का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को सिविल–न्यायालय की समस्त शक्ति प्राप्त होगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधीन वाद का परीक्षण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने और साक्षियों की उपस्थिति बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों की प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच में परिणाम को ऐसे निदेशों सहित जो वह उचित समझे, न्यास परिषद् को संसूचित करेगी।

(5) न्यास परिषद् उपधारा (4) के अधीन दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगी और ऐसे समय में जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे इस निमित्त कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करेगी।

निदेश देने की शक्ति

33–राज्य सरकार इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले या सम्बन्धित विषयों के बारे में ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास परिषद् का कर्तव्य होगा ।

अध्याय – छः

शास्ति

मन्दिर सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने में प्रतिरोध या अवरोध के लिये दण्ड

34–जो कोई धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन न्यास परिषद् या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा या प्राधिकार के अधीन कब्जा लिये जाने में साशय प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करता है या कराता है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

न्यास परिषद् के कतिपय निदेशों के उल्लंघन के लिये दण्ड

35–जो कोई धारा 15 के खण्ड (ग) के अधीन दिये गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय – सात

प्रकीर्ण

मन्दिर के कर्मचारी लोक सेवक होंगे

36–न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मन्दिर का कर्मचारी जब इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा हो या कार्य करने का अभिप्राय रखता हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायगा ।

प्रशासन आख्या

37–(1) न्यास परिषद् प्रतिवर्ष राज्य सरकार की मन्दिर के कार्यों के प्रशासन के बारे में आख्या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे ।

(2) इस धारा के अधीन तैयार की गयी आख्या विहित रीति से प्रकाशित की जायेगी और यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

कुछ मामलों में दायित्व से छूट

38–न्यास परिषद् या न्यास परिषद् कार्यपालक समिति के किसी सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकरी या मन्दिर के कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या करने का अभिप्राय

रखने वाली किसी बात के लिए नहीं लाया जायगा या लायी जायगी ।

अभिलेख मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति

39–राज्य सरकार मन्दिर के कार्य से सम्बन्धित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और यदि सन्तुष्ट हो कि न्यास परिषद् कार्यपालक समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी का कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे ।

लोक अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि या उद्धरण दिया जाना

40–सभी लोक अधिकारी जिनकी अभिरक्षा में मन्दिर सम्बन्धी कोई अभिलेख, रजिस्टर, आख्या या अन्य दस्तावेज या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति हो, न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिलिपि या उद्धरण देंगे ।

तलाशी और अभिग्रहण

41–(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज या भौतिक पदार्थ का कब्जा लेने के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी परिसर में किसी युक्तिसंगत समय पर प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने या लिवाने की शक्ति होगी ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन ली जाने वाली तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे ।

वर्तमान सम्पत्ति का उपयोग

42–नियत दिनांक के ठीक पूर्व मन्दिर और उसके विन्यास की या उसके अंगीभूत समस्त सम्पत्ति और आस्तियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता रहेगा जिसके लिये उनका उपयोग किया जा रहा था या ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् उपयोग किये जाने का आशय था ।

अपवाद

43–इस अधिनियम की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में किसी अधिकार को जिसका दावा वह कर रहा हो, स्थापित करने के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही करने से प्रवारित नहीं होगा ।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

44–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

नियम बनाने की शक्ति

45–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

46–इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् अपने कार्यों के संचालन से सम्बन्धित किसी विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए विनियम बनाये जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन विनियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

47–(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य का कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उद्देश्य और कारण

वाराणसी में ज्ञानवापी के निकट स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति विश्व भर में हिन्दुओं की अपार श्रद्धा भक्ति है । भक्तों द्वारा समय–समय पर बड़ी संख्या में मूल्यवान वस्तुएं अर्पित की जाती है और मंदिर में सदैव, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पर्वों पर भक्तों की भीड़ बनी रहती है । मंदिर का प्रबन्ध चार महन्तों के नियंत्रण में था जो अर्पण की धनराशि में से स्वच्छता, प्रकाश, पेय जल और मन्दिर के अनुरक्षण तथा तीर्थ यात्रियों और भक्तों की सुख–सुविधा की व्यवस्था करने के लिये नाम–मात्र की धनराशि व्यय करते थे । वे अर्पण और दान का समुचित लेखा भी नहीं रखते थे और लेखा की संपरीक्षा नहीं की जाती थी । महन्त पुजारियों को नाममात्र का वेतन देते थे ।

मंदिर के कुप्रबन्ध के कारण हिन्दुओं द्वारा सर्वाधिक पवित्र समझे जाने वाले मंदिर के लिये तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता थी । मंदिर के कुप्रबन्ध के दौरान वर्ष 1962, 1969, 1976 और 1982 में बड़े पैमाने पर चोरियां हुई थी । दिनांक 4/5 जनवरी, 1983 की रात्रि में एक और बड़ी चोरी हुई जिसमें शिवलिंग के अर्घे की स्वर्ण पट्टियों का अधिकांश भाग निकाल दिया गया था । इस घटना से सम्पूर्ण हिन्दू जगत में, विशेष रूप से, वाराणसी के और उत्तर प्रदेश राज्य के हिन्दुओं में उत्तेजना व्याप्त हो गयी थी और इससे लोक–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी ।

अतएव, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यकलाप का समुचित प्रबन्ध करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि मंदिर के प्रबन्ध को एक न्यास परिषद् को सौंप दिया जाय जिसमें प्रमुख हिन्दू धार्मिक नेता, अन्य प्रख्यात धार्मिक व्यक्ति और राज्य सरकार के उच्च पदीय अधिकारी हों, और मंदिर के कार्यकलाप के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये एक कार्यपालक समिति की व्यवस्था की जाय ।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नही था और उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, तात्कालिक विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतएव राज्यपाल द्वारा 24 जनवरी, 1983 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अध्यादेश, 1983 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1983) प्रख्यापित किया गया । उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये विधेयक राज्य विधान मंडल में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका और अध्यादेश समाप्त होने जा रहा था । चूंकि उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रवृत्त रखना आवश्यक समझा गया और राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था, इसलिये राज्यपाल द्वारा 15 मार्च, 1983 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1983) और 27 अप्रैल, 1983 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1983) प्रख्यापित किया गया ।

तदनुसार यह विधेयक उक्त अध्यादेश संख्या 20 सन् 1983 को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है ।

————————